>

Title: Need to complete the remaining stretch of road between Sivani and Khavasa on Jabalpur-Nagpur section of National Highway-7 under North-South Link Road Project.

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, मेरा अलग मुद्दा भी है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले से लोकसभा सदस्य चुनकर आया हूं। उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर 4 लेन जबलपुर से नागपुर एन.एच. मार्ग स्वीकृत है। यह मार्ग लखनादौन से सिवनी तक बन चुका है। करोड़ो रूपया खर्च होकर 4 लेन मार्ग बन चुका है। मगर सिवनी से खवासा, जो नागपुर मार्ग पर पड़ता है, यह बीस-बाइस किलोमीटर का जो पोर्शन है, इसे ठेकेदार ने छोड़ दिया है। उसने काम बंद कर दिया है। उस पर रोक लग गयी है। छिंदवाड़ा के एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय में स्टे लगा दिया है कि इस काम को प्रारम्भ न किया जाये। जहां करोड़ों रूपये खर्च हो चुके हैं, यह प्रमुख मार्ग है।

महोदय, यह कहते हैं कह यह शेरशाह सूरी के जमाने का मार्ग है। जब शेरशाह सूरी का शासन था, उस समय मध्य प्रदेश में एक ही मार्ग था। सिवनी जिला वैसे भी पिछड़ा हुआ जिला है। जबलपुर से सिवनी और सिवनी से नागपुर जाना होता है। वन्य प्राणियों का आवागमन अवरूद्ध होता है, टाइगर को नुकसान होता है, इसलिए एनजीओ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी है।

इस मार्ग का काम एक साल से बंद है। शिवनी की जनता आंदोलन कर रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को प्रारम्भ किया जाए। इस मार्ग को यदि शुरू नहीं करना था तो बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एनजीओज़ तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाते रहेंगे और राजमार्ग का काम रूका रहेगा। शिवनी जिले के लोगों को चिकित्सा के लिए जबलपुर या नागपुर जाना होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में जाए और उस मार्ग को प्रारम्भ करने में मदद करे। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यह मामला वर्षों तक लंबित पड़ा रहेगा।

सभापति महोदय : धरना प्रदर्शन होने और उसकी पब्लिसिटी होने से कोर्ट पर भी उसका असर पड़ता है।

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, एक बार शिवनी जिला बंद हुआ था। लेकिन हम लोग मारकाट नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिवनी बहुत शांतिपूर्ण जिला है और पिछड़ा हुआ है।